न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 23/2018

1 गिरधारीदास पुत्र जयराम जाति स्वामी निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मोहनी देवी (मृत)।
1/1 रामचन्द्र पुत्र मोहनी देवी।
1/2 लक्ष्मण पुत्र मोहनी देवी।
1/3 सरोज पुत्री मोहनी देवी।
2 रामनिवास (मृत)।
2/1 राकेश पुत्र रामनिवास।
2/2 गीगराज पुत्र रामनिवास।
2/3 शंकरलाल पुत्र रामनिवास।
2/4 सुभाष पुत्र रामनिवास।
2/5 संतोष पत्नी रामनिवास।
2/6 देवीका पुत्री रामनिवास।
2/7 बीरबल पुत्री रामनिवास।
3 श्रवण पुत्र भूरा।
4 मोहन पुत्र भूरा।
5 कन्हैयालाल पुत्र भूरा।
6 महेश कुमार पुत्र भूरा।
7 रामप्यारी पत्नी भूरा समस्त जाति कुमावत निवासीगण पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 पी.एन.बी. पलसाना।
9 उप पंजियक पलसाना।
10 तहसीलदार दांतारामगढ़।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.08
मुकदमा नम्बर 131/2006 उनवानी मोहनी देवी बनाम
रामनिवास आदि न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर

उपस्थिति :

1. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 27.8.21

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 131/2006 में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2008 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 5 पर उभयपक्ष को सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट की विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत तामील नहीं करवाई गई, इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2008 की पूर्व में अपीलांट को कोई जानकारी नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपने काश्त कार्य हेतु बैंक से किसान कार्ड बनाने के लिये अपने विक्रय पत्र को लेकर पटवारी से सम्पर्क

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

करने पर उसे पटवारी द्वारा रकबा कम होने के बारे में बताया तो अपीलांट ने तहसील कार्यालय से नई जमाबंदी की नकल हेतु आवेदन दिया गया, जहां से नकल प्राप्त कने पर पुरानी जमाबंदी में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का नोट लगा हुआ होने पर अपीलांट को खाते में उसके नाम कम भूमि दर्ज होने की जानकारी हुई। इस पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन दिनांक 20.02.2018 को दिया गया और नकल दिनांक 09.03.2018 को प्राप्त हुई तथा अपीलाधीन आदेश अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 7 के नाम भूमि कम दर्ज होने की जानकारी हुई। जानकारी से यथाशीघ्र अपील तैयार करवाकर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी के अभाव में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2008 के विरूद्व अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.03.2018 को अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत होने पर अपीलांट की तलबी जारी की गई एवं अपीलांट की विधिवत तामील के पश्चात इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी। विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2008 की जानकारी अपीलांट को निर्णय व डिक्री के राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के समय से लगातार चली आ रही है परन्तु अपीलांट द्वारा आवेदन में गलत तथ्य अंकित कर अपील को मियाद में लेने के कुउद्वेश्य से आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रस्तुत किया है जबकि वास्तविक रूप से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2008 की जानकारी सदैव से चली आ रही है। अपीलांट द्वारा अपने काश्तकारी हेतु बैंक से किसान कार्ड बनवाने के लिए अपने विक्रय पत्र को लेकर पटवारी से सम्पर्क करने एवं उसे पटवारी द्वारा कम रकबा होने के बारे में बताने, अपीलांट ने तहसील कार्यालय से नई जमाबंदी की नकल हेतु आवेदन करने आदि का कथन पूर्णतया मिथ्या किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। अपीलांट द्वारा बैंक से किसान कार्ड बनवाने में कहीं विक्रय पत्र को लेकर पटवारी से सम्पर्क किया गया एवं पटवारी द्वारा किस प्रकार रकबा कम होने के बारे में बताया गया अपीलांट के आवेदन में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया गया है। हल्का पटवारी को पूर्व रिकार्ड के रकबे की किस तरह से जानकारी थी इसके सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई कथन नही किया गया है तथा साथ ही साथ नई नकल जमाबंदी की नकल देने हेतु हल्का पटवारी अधिकृत है तो अपीलांट द्वारा तहसील कार्यालय से नई नकल जमाबंदी हेतु आवेदन क्यों पेश किया गया, इस प्रकार के तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी 23.10.2008 से ही थी। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन दिनांक 20.02.2018 को देना तथा प्रमाणित नकल दिनांक 09.03.2018 को प्राप्त होना अंकित किया गया है जबकि निर्णय व डिक्री की नकल के आवेदन की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर मौजुद नहीं है। ऐसी स्थिति में विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कारण अंकित नही किये जाने से अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर इसी स्तर पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2008 को पारित किया गया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.09.2006 में स्पष्ट अंकन है कि प्रतिवादी संख्या 7 वर्तमान अपीलांट की विधिवत रूप से तामील हो चुकी है। बावजुद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट ने अपने आवेदन धारा 5 के साथ सम्यक तामील नही होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अपीलांट द्वारा दिन प्रतिदिन की देरी का कोई कारण न तो आवेदन में अंकित किया गया है न ही वर वक्त बहस जाहिर किया गया है। प्रस्तुत अपील 10 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है। पर्याप्त एवं सन्तोषजनक कारण के अभाव में 10 वर्ष का विलम्ब कन्डोन किये जाने योग्य नही पाया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नही होने से अपील अपीलांट इसी स्तर पर मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर